



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: F (12) NHM/RCH/JSY/OJAS/2016/465

दिनांक: 12/04/2016


समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक
समस्त, जिला लेखा प्रबंधक

विषय:- ओजस सॉफ्टवेयर के द्वारा दिये जा रहे ऑनलाईन भुगतान में आवश्यक रिकॉर्ड संधारण के क्रम में।
संदर्भ:- इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक: NHM/RCH/JSY/DBT/ 2015 /158 दिनांक: 21.07.2015 एवं 204
दिनांक: 17.09.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले के सभी ओजस संबंधित संस्थानों, जिनमें जननी सुरक्षा योजना एवं शुभलक्ष्मी योजना का ऑनलाईन परिलाम ओजस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जा रहा है, के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि माह अगस्त 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान आपके जिले की सभी ओजस संबंधित संस्थानों पर हुये प्रसवों को ऑनलाईन भुगतान जारी किये जाने हेतु प्रक्रिया अन्तर्गत संबंधित संस्थान द्वारा प्रत्येक केस/प्रसव में प्रतिदिन भरे गये समस्त जेएसवाई क्लेम फॉर्म एवं पीसीटीएस सॉफ्टवेयर पर ऑनलाईन केस प्रविष्टि उपरान्त प्रतिदिन ओजस सॉफ्टवेयर पर वेरिफाईड किये गये समस्त केसेज की प्रिन्ट वेरिफिकेशन लिस्ट को आगामी सात दिवस में दिनांकवार व माहवार रिकॉर्ड को संधारण कर लिया जावें।

निदेशालय स्तर से पूर्व में भी ऑनलाईन भुगतान के संबंध में आवश्यक रिकॉर्ड संधारण हेतु समय समय पर पत्र जारी किये जाते रहे हैं। इस संबंध में आपको पुनः भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जिले की सभी ओजस संबंधित संस्थानों को अविलम्ब आवश्यक रिकॉर्ड संधारण हेतु निर्देशित कर इस कार्य को होना सुनिश्चित करावें ताकि आगामी प्रस्तावित राज्य एवं जिला स्तरीय भ्रमण के दौरान निरीक्षण/भ्रमण अधिकारी को सहजता पूर्वक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाकर कार्यवाही की जा सके।

साथ ही साथ सभी जिला अधिकारी जिले के अन्तर्गत आने वाली सभी ओजस संबंधित संस्थानों को भविष्य में भी आवश्यक रिकॉर्ड संधारण बाबत अविलम्ब पुनः निर्देश जारी कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी प्रकार के केस में बिना आवश्यक रिकॉर्ड की उपलब्धता एवं रिकॉर्ड संधारण में त्रुटि होने पर हुये गलत भुगतान के लिये संबंधित संस्थान प्रभारी एवं संस्थान द्वारा नामित अधिकारी प्रभारी जिम्मेदार होंगे।


निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
- 2 निजी सहायक, निदेशक-आरसीएच।
- 3 निदेशक वित्त, एनएचएम।
- 4 परियोजना निदेशक- एमएच।
- 5 अधीक्षक, समस्त मेडिकल कॉलेज सम्बन्धित अस्पताल।
- 6 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला/उपजिला/सेटेलाइट अस्पताल।
- 7 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिले।
- 8 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्त जिले।
- 9 समस्त जिला नोडल अधिकारी (DM&EO)।
- 10 सर्वर रूम।
- 11 रक्षित पत्रावली।

A. 2. 4. 16
निदेशक, आरसीएच
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर